



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012022-232852
CG-DL-E-24012022-232852

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]
No. 42]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2022/माघ 4, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2022/MAGHA 4, 1943

सहकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2022

सा.का.नि. 42(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 (1962 की 26) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नियम, 1975, इन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा जाएगा, के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
3. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
(1) अध्यक्ष केंद्रीय सरकार में सहकारिता मंत्रालय के प्रभारी मंत्री होंगे।
(2) सहकारिता मंत्रालय में सचिव, भारत सरकार, महापरिषद के उपाध्यक्ष होंगे।
3. उक्त नियम में, नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"11. बोर्ड के उपाध्यक्ष

बोर्ड के उपाध्यक्ष, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार के सहकारिता मंत्रालय में उतने समय के लिये प्रभारी विशेष सचिव या अपर सचिव होंगे।"

[फा. सं. एल-12011/1/2021-आईएंडपी]

अभय कुमार सिंह, मंयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. 477, तारीख 12 अप्रैल, 1975 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संख्या सा.का.नि. 445, तारीख 27 मार्च, 1976, संख्या सा.का.नि. 292 तारीख 21 अप्रैल, 1979, संख्या सा.का.नि. 798, तारीख 29 अगस्त, 1981, संख्या सा.का.नि. 485, तारीख 9 नवंबर, 1996, संख्या सा.का.नि. 238 (अ), तारीख 30 अप्रैल, 1997, संख्या सा.का.नि. 251, तारीख 12 जुलाई, 2003, संख्या सा.का.नि. 43 (अ), तारीख 14 जनवरी, 2004 और संख्या सा.का.नि. 462 (अ) दिनांक 16 जून 2008 द्वारा संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF COOPERATION
NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st January, 2022

G.S.R. 42(E).—In exercise of powers conferred by Section 22 of the National Cooperative Development Corporation Act, 1962 (26 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Cooperative Development Corporation Rules, 1975, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Cooperative Development Corporation (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Cooperative Development Corporation Rules, 1975, hereinafter referred to as the said rules, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

“3. **President and Vice-President**

(1) The President shall be the Minister in charge of the Ministry of Cooperation in the Central Government.

(2) The Secretary to the Government of India in the Ministry of Cooperation shall be the Vice-President of the General Council.”

3. In the said rules, for rule 11, the following rule shall be substituted, namely:—

“11. **Vice-Chairman of the Board**

The Vice-Chairman of the Board shall be the Special Secretary or the Additional Secretary, as the case may be, for the time being in charge of the Ministry of Cooperation in the Central Government.”

[F. No. L-12011/1/2021-I&P]

ABHAY KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The Principal Rules were published in the gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 477, dated the 12th April, 1975 and subsequently amended vide Number G.S.R. 445, dated 27th March, 1976, Number G.S.R. 292, dated 21st April, 1979, Number G.S.R. 798, dated 29th August, 1981, Number G.S.R. 485, dated 9th November, 1996, Number G.S.R. 238(E), dated 30th April, 1997, Number G.S.R. 251, dated 12th July, 2003, Number G.S.R. 43(E), dated 14th January, 2004 and Number G.S.R. 462(E), dated 16th June, 2008.